संख्या- 106 /2023/ 3758 / नौ-9-23 /7001-E-1721372

प्रेषक,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 29 दिसंबर, 2023**

विषय:- 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2023-2024 हेतु प्रदेश के Million Plus शहर के लिये संस्तुत SWM/Sanitation मद की धनराशि रू0 71546.70 लाख अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग के पत्र सं0-एफ0सी0सी0ए0 226/दस-2023-02/2020, दिनांक-28.12.2023 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 F.15(45)FC-XV/FCD/ 2020-25 दिनांक-27.12.2023 (**छायाप्रति संलग्न**) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों को 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत Million Plus शहरों के लिये SWM/Sanitation (Solid Waste Management) मद में उपलब्ध/अवशेष धनराशि में से **कुल धनराशि रू0 71546.70 लाख (रू0 सात सौ पन्द्रह करोड़ छियालीस लाख सत्तर हजार मात्र)** 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय निकायों (**नगर निगम, आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी)** (Urban Agglomeration) एवं कैण्टोनमेन्ट बोर्ड (यदि कोई हो) को आवंटित करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की मा0 राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

(1) उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि आपके द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों/नीतियों को अक्षरशः पालन करते हुये, भारत सरकार के पत्र दिनांक-27.12.2023 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्धारित मानक के अनुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय निकायों एवं कैण्टोनमेन्ट बोर्ड (यदि कोई हो) को बिना किसी कटौती के निर्धारित समयान्तर्गत (10 कार्य दिवस के अन्दर) उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) उक्त अनुदान का उपभोग स्थानीय निकायों एवं कैण्टोनमेन्ट बोर्ड (यदि कोई हो) द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार किया जायेगा।

(3) 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत अवमुक्त उक्त धनराशि का उपभोग वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं0-एफ.15(2) एफसी- XV/एफसीडी/2020-25, दिनांक-28.07.2021 द्वारा निर्गत Operational Guidelines के प्राविधानों एवं 15वें वित्त आयोग की वर्ष 2021-2026 के लिये रिपोर्ट के अध्याय-7 (Chapter-7) की संस्तुतियों में उल्लिखित विषय पर ही की जायेगी।

(4) केन्द्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट के प्रस्तर-7.132 में मिलियन प्लस सिटी के अतिरिक्त अन्य सिटी हेतु धनराशि के वितरण की प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसके अनुसार धनराशि का आंवटन किया जायेगा।

(i) कैण्टोनमेन्ट बोर्ड (यदि कोई हो) के मध्य पारस्परिक आवंटन (Inter-Se Distribution) केन्द्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कैण्टोनमेन्ट बोर्ड की जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा।

(ii) 15 वें वित्त आयोग की धनराशि का निकायों के बीच आंवटन राज्य वित्त आयोग की अद्यतन संस्तुति के आधार पर की जायेगी, जिसमें कैण्टोनमेन्ट बोर्ड को भी सम्मिलित किया गया हो । राज्य वित्त आयोग की किसी विशेष श्रेणी के लिए आवंटन हेतु संस्तुति उपलब्ध न होने की स्थिति में आंवटन वर्ष 2011 की जनसंख्या एवं क्षेत्र अनुपात 90 : 10 में की जायेगी।

(iii) उक्त धनराशि, कोषागार द्वारा ई-पेमेन्ट के माध्यम से नागर स्थानीय निकायों एवं कैण्टोनमेन्ट बोर्ड (यदि कोई हो) को स्थानान्तरित की जायेगी।

(5) In the case of Urban Agglomerations which contain more than one Million-Plus city Director, Urban Local Body in consultation with all such entities within the urban agglomerations shall entrust one urban local body as a nodal entity to receive the grants. This nodal entity shall also have the responsibility of achieving the performance indicator for the entire agglomeration.

(6) FC-XV recommended Solid Waste Management grant component of Million-Plus Cities Challenge Fund for Million Plus Cities/UAs is intended to be utilized for improving drinking water quality & supply (including rainwater harvesting and recycling), sanitation and achieving star ratings by the urban local bodies in Solid Waste Management in consonance with the approved City Action Plan (CAP) and commitments made in the tripartite Memorandum of understanding (MoU) signed on the subject.

(7) धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर संख्या व दिनांक सहित वित्त विभाग व नगर विकास विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

(8) टेण्डर की कार्यवाही केवल अनुमोदित कार्यों हेतु की जायेगी।

(9) इस अनुदान के लेखों का रख-रखाव संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इस अनुदान के उपयोग एवं सम्प्रेषण की प्रणाली निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(10) 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत संस्तुत अनुदान राशि का उपयोग निर्धारित स्कीमों के अन्तर्गत किये जाने से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने होगे। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथाशीघ्र भारत सरकार को वित्त विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना होगा।

(11) उपयोगिता प्रमाण पत्र नगर निगमों के संबंध में नगर आयुक्त, एवं कैण्टोनमेन्ट बोर्ड के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ, महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3. नगर निगमों के संबंध में संबंधित नगर आयुक्त तथा कैण्टोनमेन्ट बोर्ड के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह सुनिश्चित करेगे कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुरूप एवं समयबद्ध रूप से किया जाये। दिशा निर्देशों से हट कर किया गया व्यय अनुमन्य नहीं होगा तथा इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। इसके लिये संबंधित नगर-आयुक्त/अधिशासी अधिकारी / मुख्य कार्यपालक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2217808000401 (आगरा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217808000401 आगरा	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	95,51,00,000 (रुपये पंचानबे करोड़ इक्यावन लाख मात्र)
	कुल		**95,51,00,000 (रुपये पंचानबे करोड़ इक्यावन लाख मात्र)**	

लेखाशीर्ष: 2217808000402 (प्रयागराज)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217808000402 प्रयागराज	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	68,00,00,000 (रुपये अड़सठ करोड़ मात्र)
	कुल		**68,00,00,000 (रुपये अड़सठ करोड़ मात्र)**	

लेखाशीर्ष: 2217808000403 (गाजियाबाद)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217808000403 गाजियाबाद	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1,20,60,00,000 (रुपये एक अरब बीस करोड़ साठ लाख मात्र)
	कुल		**1,20,60,00,000 (रुपये एक अरब बीस करोड़ साठ लाख मात्र)**	

लेखाशीर्ष: 2217808000404 (कानपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217808000404 कानपुर	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1,42,02,90,000 (रुपये एक अरब बयालीस करोड़ दो लाख नव्वे हजार मात्र)
	कुल			**1,42,02,90,000 (रुपये एक अरब बयालीस करोड़ दो लाख नव्वे हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2217808000405 (लखनऊ)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217808000405 लखनऊ	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1,42,61,40,000 (रुपये एक अरब बयालीस करोड़ इकसठ लाख चालीस हजार मात्र)
	कुल			**1,42,61,40,000 (रुपये एक अरब बयालीस करोड़ इकसठ लाख चालीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2217808000406 (मेरठ)

	अनुदाम संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217808000406 मेरठ	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	74,66,00,000 (रुपये चौहत्तर करोड़ छियासठ लाख मात्र)
	कुल			**74,66,00,000 (रुपये चौहत्तर करोड़ छियासठ लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2217808000407 (वाराणसी)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217808000407 वाराणसी	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	72,05,40,000 (रुपये बहत्तर करोड़ पांच लाख चालीस हजार मात्र)
	कुल			**72,05,40,000 (रुपये बहत्तर करोड़ पांच लाख चालीस हजार मात्र)**

महायोग	**7,15,46,70,000 (रुपये सात अरब पंद्रह करोड़ छियालीस लाख सत्तर हजार मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न **संख्या: E-9-421-X-2023-24- दिनांक: 29-12-2023,** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 106 **/2023/**27.58/नौ-9-23**/001-E-1721372, तद् दिनांक।**

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (रिपोर्ट ब्रांच)/ प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रयागराज।
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार, स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निदेशक (एफसीडी), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश शासन।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
7. वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता अनुभाग), उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाइल हेतु ।

आज्ञा से,

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A009-20232024-Reapp-1721372 to CFC

विषय:- मिलियन प्लस शहरों हेतु SWM/Sanitation (SWM) के मानक मद-20 हेतु पुनर्विनियोग कराये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
037	2217051910105 (अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्शफारमेशन के अन्तर्गत सहायता (अमृत- 2.0) (के.25/रा.33.33-के.) (10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर)	35 (पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान)	7,74,69,30,000 रुपये सात अरब चौहत्तर करोड़ उनहत्तर लाख तीस हजार मात्र	7,74,69,30,000 रुपये सात अरब चौहत्तर करोड़ उनहत्तर लाख तीस हजार मात्र	-3,28,21,90,000 रुपये तीन अरब अट्ठाईस करोड़ इक्कीस लाख नव्वे हजार मात्र	3282190000	4,46,47,40,000	2023-2024
037	2217051920105 (अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्शफारमेशन के अन्तर्गत सहायता (अमृत- 2.0) (के.33.33/रा.50-के.) (1 लाख से 10 लाख तक जनसंख्या वाले शहर)	35 (पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान)	9,76,10,87,000 रुपये नौ अरब छिहत्तर करोड़ दस लाख सतासी हजार मात्र	9,76,10,87,000 रुपये नौ अरब छिहत्तर करोड़ दस लाख सतासी हजार मात्र	-2,70,42,80,000 रुपये दो अरब सत्तर करोड़ बयालीस लाख अस्सी हजार मात्र	2704280000	7,05,68,07,000	2023-2024

निम्नलिखित निधियों मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
037	2217808000403 (गाजियाबाद)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	1,37,18,00,000 रुपये एक अरब सैंतीस करोड़ अठारह लाख मात्र	1,09,42,00,000 रुपये एक अरब नौ करोड़ बयालीस लाख मात्र	1094200000	2,46,60,00,000	2023-2024
037	2217808000402 (प्रयागराज)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	1,02,98,00,000 रुपये एक अरब दो करोड़ अट्ठानबे लाख मात्र	68,00,00,000 रुपये अड़सठ करोड़ मात्र	680000000	1,70,98,00,000	2023-2024
037	2217808000406 (मेरठ)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	1,20,00,00,000 रुपये एक अरब बीस करोड़ मात्र	55,76,00,000 रुपये पचपन करोड़ छिहत्तर लाख मात्र	557600000	1,75,76,00,000	2023-2024
037	2217808000407 (वाराणसी)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	1,49,64,00,000 रुपये एक अरब उनचास करोड़ चौंसठ लाख मात्र	72,05,40,000 रुपये बहत्तर करोड़ पांच लाख चालीस हजार मात्र	720540000	2,21,69,40,000	2023-2024
037	2217808000405 (लखनऊ)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	2,80,20,00,000 रुपये दो अरब अस्सी करोड़ बीस लाख मात्र	1,42,61,40,000 रुपये एक अरब बयालीस करोड़ इकसठ लाख चालीस हजार मात्र	1426140000	4,22,81,40,000	2023-2024
037	2217808000404 (कानपुर)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	2,46,00,00,000 रुपये दो अरब छियालीस करोड़ मात्र	80,31,90,000 रुपये अस्सी करोड़ इकतीस लाख नव्वे हजार मात्र	803190000	3,26,31,90,000	2023-2024
037	2217808000401 (आगरा)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	1,49,00,00,000 रुपये एक अरब उनचास करोड़ मात्र	70,48,00,000 रुपये सत्तर करोड़ अड़तालीस लाख मात्र	704800000	2,19,48,00,000	2023-2024

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) स्तम्भ-1 में अंकित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत भारत सरकार से केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त न होने के कारण बचत हो रही है।

(2) मिलियन प्लस शहरों हेतु SWM/Sanitation (SWM) के मानक मद-20 में भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने के कारण अधिक धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर ई-बजट-1-275-2023-24, दिनांक- 29 दिसंबर, 2023

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(मोहम्मद वासिफ)
अनु सचिव

(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक

संख्या: आर ई-बजट-1-275-2023-24, दिनांक- 29 दिसंबर, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ।
4- मिशन निदेशक, अमृत 2.0, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ।
6- राज्य मिशन निदेशक, अमृत 2.0, /निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक/सहायक निदेशक (लेखा) नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/नगर विकास अनुभाग-5।
11- निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से

(मोहम्मद वासिफ)
अनु सचिव